इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

ग्राम वन नियम, 2015

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2015—ज्येष्ठ 14, शक 1937

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

क्र. एफ-25-12-2015-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (सन् 1927 का 16) की धारा 28 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 है.

(2) ये नियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे.

(3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16);

(ख) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ''वास्तविक आजीविका आवश्यकता'', ''सामुदायिक अधिकार'' और ''गौण वन उत्पाद'' का वही अर्थ होगा जो कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में उनके लिए दिया गया है;

(ग) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए जिला योजना समिति का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में उसे दिया गया है;

(घ) ''रहवासियों के कर्तव्य'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 14 में यथा उपबंधित रहवासियों के कर्तव्य;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) "ग्राम सभा" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में उसे दिया गया है;

(छ) "ग्राम वन समिति" से अभिप्रेत है अधिसूचना क्रमांक एफ/16–4/91/दस–2 दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 में प्रकाशित शासकीय संकल्प अनुसार ग्रामसभा द्वारा गठित समिति;

(ज) "निस्तार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं ,–

(एक) अनारक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी;
(दो) सूखी पड़ी हुई लकड़ी जो इमारती लकड़ी के लिए उपयुक्त न हो,
(तीन) सूखे बांस और जहां विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित हों, हरे बांस,
(चार) घास (रुसा, खस, या सबई घास से भिन्न)
(पांच) कांटे (खैर और करधई के कांटों को छोड़कर)
(छह) पत्तियां (तेंदू पत्ता के अतिरिक्त)
(सात) अनारक्षित वृक्ष की छाल (बक्कल); और
(आठ) नियम 13 के अधीन अनुज्ञप्त कार्यों के लिए और उसी ग्राम में आवास के वास्तविक प्रयोजन हेतु गौण खनिज सतही बोल्डर्स, मुरुम, बालू, छुई और चिकनी मिट्टी ।

(झ) "व्यावसायिक निस्तार" से अभिप्रेत है लकड़ी के कोयले के विनिर्माण को छोड़कर जीविकोपार्जन के तरीके के रूप में व्यवसाय चलाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित निस्तार;

(ञ) "पैदावार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं समस्त खाने योग्य जड़ें, फल एवं फूल, कुल्लू वृक्ष के गोंद को छोड़कर प्राकृतिक रुप से निकला गोंद, शहद तथा मोम;

(ट) "संरक्षित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) में उसके लिए दिया गया है;

(ठ) "ग्राम का निवासी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो कि साधारणतया उसी ग्राम में निवास करता हो;

(ङ) "शहरी क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिए दिया गया है ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो कि मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में उनके लिए दिए गए हैं ।

3. ग्राम वन का प्रबंधन,–

ग्राम की वह ग्राम सभा, जहां ग्राम समुदाय, जिसे सरकार के अधिकार दिए गए हैं, निवास करता है, उस वन के प्रबंधन, जिसमें संरक्षण तथा विकास सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगी ।

4. ग्राम वन समिति का गठन,–

ग्राम की ग्रामसभा द्वारा गठित ग्राम वन समिति उस ग्राम वन के प्रबंधन जिसमें उसका संरक्षण तथा विकास सम्मिलित है, के लिये ग्राम सभा की ओर से उत्तरदायी होगी ।

5. निस्तार अधिकार,–

(1) इन नियमों के उपबंधों एवं सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, ग्रामों के निवासियों को सम्बद्ध किए गए ग्राम वन से उनकी निस्तार तथा पैदावार आवश्यकताएं निःशुल्क या ग्राम वन समिति को रकम भुगतान करने पर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण– अभिव्यक्ति "निस्तार आवश्यकताएं" या "पैदावार आवश्यकताएं" से अभिप्रेत है वास्तविक व घरेलू उपभोग तथा आजीविका आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित निस्तार तथा पैदावार;

(2) 'जिला योजना समिति' वन मण्डलाधिकारी से परामर्श करके समय–समय पर, संबद्ध ग्राम वन से काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी जिसमें व्यावसायिक निस्तार सम्मिलित है, को हटाने के लिए ग्राम वन समिति को देय फीस की दरें नियत करेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञात निस्तार एवं पैदावार आवश्यकताओं की मात्रा प्रत्येक परिवार की वास्तविक आजीविका आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अध्यधीन होगी। जहां उपलब्ध निस्तार सामग्री कुल आवश्यकता से कम होगी वहां निस्तार सामग्री को ग्राम वन समिति द्वारा समान रूप से वितरित किया जाएगा।

(4) (क) वन मण्डलाधिकारी अथवा उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी का अन्य वन अधिकारी, समय–समय पर, ग्राम वन समिति के परामर्श से प्रत्येक वर्ष, एक क्षेत्र निर्धारित करेंगे जिसमें से निस्तार प्राप्त किया जाएगा और ग्रामीण केवल उसी क्षेत्र से अपना निस्तार प्राप्त करेंगे।

(ख) वन मण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी का अन्य अधिकारी, समय–समय पर व्यावसायिक निस्तार करने के लिए समुचित क्षेत्र, विनिर्दिष्ट एवं सुरक्षित करेंगे एवं उपनियम (1) के अधीन "निस्तार" तथा "पैदावार" की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् दोहन की उपलब्धता तक सीमित रहते हुए उक्त क्षेत्र से प्राप्ति योग्य अतिरिक्त मात्रा संसूचित करेगा।

6. बंद अवधि,–

(1) इन नियमों के अधीन ग्राम वनों में प्रत्येक वर्ष एक जुलाई से शुरू होकर उसी वर्ष पन्द्रह अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि में वृक्षों का गिराया जाना तथा काष्ठ एवं जलाऊ लक़ड़ी का हटाया जाना प्रतिबंधित रहेगा, जो बंद अवधि कहलाएगी ।

(2) ग्राम वन समिति, संबंधित वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उसे निर्दिष्ट ग्राम वन के लिए एक वर्ष की किसी अवधि या कुछ अवधियों को बंद समय घोषित कर सकेगी अथवा कुछ वन क्षेत्रों को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय वनोपज के संग्रहण हेतु बंद घोषित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज की मात्राओं की दोहन सीमा अधिरोपित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज के संग्रहण अथवा दोहन हेतु टिकाऊ हार्वेस्टिंग प्रणाली निर्धारित कर सकेगी।

(3) ग्राम वनों में स्थित जलीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट रद्द रहेगा।

7. काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना,–

(1) ग्राम वन समिति, वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उससे संबद्ध ग्राम वनों में वृक्षों का पातन तथा काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाना विनियमित करेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष खुली कालावधि शुरू होने के पूर्व वन क्षेत्रपाल, ग्राम वन समिति को उसे निर्दिष्ट ग्राम वन में पातन तथा हटाए जाने हेतु उपलब्ध काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी की प्राक्कलित मात्रा संसूचित करेंगे ।

(3) ग्राम वन समिति उन दिवसों, जब वह वृक्षों के पातन का आशय रखती है, का विनिश्चय करेगी एवं उसे वन क्षेत्रपाल को संसूचित करेगी ।

(4) ग्राम वनों में वृक्षों का पातन, वन क्षेत्रपाल द्वारा प्रतिनियुक्त वन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा।

(5) ग्राम वन क्षेत्र से काष्ठ की निकासी, उस पर वन क्षेत्रपाल द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी के हेमर मार्क लगाने के उपरांत ही की जाएगी।

8. वनोपज का बंटवारा,–

(1) निस्तार, जिसमें आजीविका निस्तार भी सम्मिलित है, के पश्चात् अधिशेष काष्ठ और जलाऊ लकड़ी ग्राम वन समिति द्वारा निर्वर्तित की जा सकेगी।

(2) काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के निवर्तन से प्राप्त आगम सर्वप्रथम वन संरक्षण एवं विकास हेतु प्रयुक्त किए जाएंगे। अतिशेष, यदि कोई हो, ग्राम वन समिति द्वारा ग्रामवासियों के कल्याण हेतु उपयोग किए जा सकेंगे।

(3) नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम वन समिति, सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय जो कि सरकार द्वारा धारित, प्रबंधित एवं नियंत्रित हो अथवा ऐसी निर्माण गतिविधि में संलग्न हो, जिसके लिए वनोपज एक कच्चा माल हो, के साथ उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय द्वारा ग्राम वन के विकास हेतु किये गये निवेश के प्रतिफल को ध्यान में रखकर उसे निर्दिष्ट ग्राम वन से प्राप्त वनोपज के बंटवारे हेतु अनुबंध कर सकेगी।

9. वृक्षों का पातन एवं काष्ठ का हटाया जाना,–

(1) ग्राम से निर्दिष्ट ग्राम वनों में वृक्षों का पातन तथा काष्ठ का हटाया जाना, नियम 12 में विहित की गई प्रबंध योजना के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा, जब तक कि वन क्षेत्रपाल द्वारा लिखित में अनुज्ञात न किया गया हो, अर्थात् :–

(एक) किसी वृक्ष के चारों ओर काट कर घेरा (गर्डल) नहीं डाला जाएगा, काफी ऊपर से काट कर मुण्डा (पोलार्ड) नहीं किया जायेगा या उसकी डालियाँ नहीं काटी जायेंगी।

(दो) गोंद या राल के संग्रहण के उद्देश्य से किसी वृक्ष में घाव नहीं किये जाएंगे।

(तीन) किसी वृक्ष को उखाड़ा, जलाया या किसी अन्य प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

(चार) कोई भी वृक्ष, जो छाती ऊँचाई पर 21 से.मी. गोलाई से कम हो, नहीं काटे जायेंगे।

(2) बांस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन काटे जाएंगे :–

(एक) बांसों का काटने का चक्र कम से कम दो वर्ष का होगा। वार्षिक कूप समुचित भागों में बांटे जाएंगे तथा गिराया जाना भागों के अनुसार किया जाएगा, उदाहरणार्थ अगले भाग में कटाई पूर्व भाग में इन नियमों के अनुसार कार्य होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

(दो) कोई भी अपरिपक्व कल्म जैसे कि करला, चालू ऋतु का कल्म तथा माहिला अथवा पिछले मौसम का कल्म नहीं काटा जायेगा।

(तीन) बांस के राइजोम खोदे नहीं जायेंगे।

(चार) किसी भी बांस के भिरे (क्लम्प), जिसमें करला व माहिला को सम्मिलित करते हुए दस से कम जीवित कल्म हों, पर कार्य नहीं किया जायेगा।

(पांच) दस अथवा अधिक जीवित कल्म वाले भिरा में, परिपक्व कल्म (20 से.मी. ऊँचाई से कम पर टूटे हुए को छोड़कर), जो कि कटाई के पश्चात, छूट गये हों, समान रूप से दूरी पर किये जायेंगे तथा इनकी संख्या करलों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। बशर्ते न्यूनतम 10 जीवित कल्म हों।

उदाहरण – मान लीजिये एक भिरा में 12 कल्म हैं, जिसमें 3 करला हैं, तब सभी करला, जैसे कि 3 में उक्त संख्या का दोगुना जोड़ें यानि 6, कुल 9 कल्म साधारणतः भिरा में छूट जाने चाहिए लेकिन जैसे कि यह कुल संख्या 10 से कम है तो एक और कल्म को रखा जाना चाहिए। इस प्रकार कुल 3 करला एवं 10–3=7 दूसरे कल्म, माहिला को छोड़कर, भिरा में छोड़े जाएंगे।

(छह) भूमि स्तर से ऊपर की ऊँचाई, जिस पर कल्म काटे जायेंगे, 15 से. मी. से कम अथवा 45 से.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में प्रथम दो जोड़ों के बीच के भाग से नीचे नहीं होगी।

(सात) कटान, एक तेज धार वाले उपकरण से ही किया जाएगा, जिससे ठूंठ फट ना सके।

(आठ) समस्त कटाई अवशेष भिरा की परिधि से कम से कम 30 से.मी. की दूरी तक हटाए जाएंगे।

(नौ) किसी भी स्थिति में करला व माहिला बांस बंडलों को बांधे जाने हेतु रस्सी के रूप में उपयोग नहीं किये जायेंगे।

10. वनोपज का परिवहन,–

(1) इन नियमों के अधीन ग्राम वन से निकाली गई समस्त काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी ग्राम वन समिति द्वारा पहले ग्राम में निर्धारित स्थान पर ले जाई जायेगी और यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थान को परिवहन की जाएगी।

(2) ग्राम से काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का परिवहन मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जायेगा।

11. चराई अधिकार,–

(1) संबंधित ग्राम के निवासियों को मध्य प्रदेश चराई नियम, 1986 के अनुसा ग्राम वन में पशुओं को चराई की अनुमति होगी :

परंतु कोई भी व्यक्ति, घास–बीड़, जलाऊ सह चारा क्षेत्र, पुनरूत्पादन व वृक्षारोपण क्षेत्रों के अंतर्गत वन मण्डलाधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, पशु नहीं चराएगा । निर्दिष्ट ग्राम वन में भेड़, बकरी एवं ऊँट की चराई की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) ग्राम वन समिति उसे निर्दिष्ट ग्राम वन में, समय–समय पर, वन क्षेत्रपाल से परामर्श करके, ऐसी फीस प्रभारित कर, जैसी कि वह नियत करे, दूसरे ग्रामों के पशुओं को चराई की अनुमति दे सकेगी।

12. प्रबंध योजना,–

(1) किसी ग्राम वन का प्रबंधन, जिसमें वृक्षों की कटाई, इमारती लकड़ी को हटाया जाना और चराई सम्मिलित है, इन नियमों के अनुरूप तैयार किए गए ग्राम वन की प्रबंधन योजना के उपबंधों के अनुसार वन क्षेत्रपाल द्वारा ग्राम सभा से परामर्श करके विनियमित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार तैयार की गई प्रबंध योजना संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे ऐसे संशोधन करने के पश्चात्, जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर देगा।

13. भूमि की सफाई एवं तोड़ना,–

ग्राम के रहवासियों के फायदे के लिए निम्नलिखित सुविधाओं के लिए ग्राम वन की भूमि को साफ करना और तोड़ना अनुज्ञात होगा :–

(एक) स्कूल

(दो) डिस्पेंसरी, अस्पताल

(तीन) आंगनबाड़ी

(चार) पेयजल सप्लाई एवं पानी की पाईप लाईन

(पांच) ग्राम तालाब का निर्माण

(छह) जल एवं वर्षा जल हेतु जल संचयन संरचना

(सात) सूक्ष्म सिंचाई नहर एवं जल वितरण चैनल

(आठ) मार्ग का निर्माण एवं रखरखाव

(नौ) फोटोवालटिक ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना

14. रहवासियों के कर्तव्य,–

ग्राम के प्रत्येक रहवासी का यह कर्तव्य होगा कि वह,–

(क) ग्राम वन में ऐसे अपराध को रोके जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है और ग्राम वन में कारित किया जा रहा है ।

(ख) ऐसे व्यक्ति जिसने ग्राम वन में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई अपराध कारित किया है, को पकड़वाने में तथा विधिक कार्रवाई शुरू किए जाने में सहायता करे ।

(ग) ग्राम वन में अपराध घटित होने के बारे में वन अधिकारी को सूचित करे तथा वन अधिकारी द्वारा कार्यवाही आरंभ किए जाने तक वनोपज की सुरक्षा करे ।

(घ) ग्राम वन में आग लगने का ज्ञान होने या उसकी जानकारी होने पर आग बुझाने में मदद करे तथा आग को आगे बढ़ने से रोके।

(ड.) इस अधिनियम या इन नियमों के विरूद्व कारित किसी अपराध या ऐसे किसी अपराध के विचारण में किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सहायता करे।

No. F.-25-12-2015-X-3.—

In exercise of the powers conferred by Section 28 and Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the State Government, hereby, makes the following rules, namely :-

RULES

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Village Forest Rules, 2015.

(2) These rules shall be applicable to the whole State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927);

(b) "Bona fide livelihood needs", "community rights" and "minor forest produce" for the purpose of these rules have the same meaning as assigned to them in The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006;

(c) "District Planning Committee" for the purpose of these rules shall have the same meaning as assigned to it in Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995);

(d) "Duties of Residents" mean duties of residents as provided in Rule 14 of these rules;

(e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(f) "Gram Sabha" shall have the same meaning as assigned to it in Madhya Pradesh Panchayat Raj avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(g) "Gram Van Samiti" means the committee constituted by Gram Sabha as per the Government Resolution published in the Notification No. F 16-4-91-X-2, Dated 22 October, 2001;

(h) "Nistar" means and includes:-

(i) Timber of unreserved trees;

(ii) Dry fallen wood not fit for timber;

(iii) Dry bamboos and green bamboos where specifically mentioned;

(iv) Grasses other than Rusa, Khus or Sabai grass;

(v) Thorns other than those of Khair and Kardhai;

(vi) Leaves excluding tendu leaves;

(vii) Bark (Bakkal) of un-reserved trees; and

(viii) Minor minerals surface boulders, murum, sand, chhui and clay for works permitted under Rule 13 and for bona fide purpose within the same village for dwelling purposes.

(i) "Occupational Nistar" means nistar required for the purpose of carrying on an occupation as a means of livelihood except manufacturing of charcoal;

(j) "Paidawar" means and includes all edible roots, fruits and flowers, naturally exuded gum except the gum from Kullu trees, honey and wax;

(k) "Protected area" shall have the same meaning as assigned to it under The Wild life Protection Act, 1972 (53 of 1972);

(l) "Resident of a village" means a person who ordinarily resides in that village;

(m) "Urban area" shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

(2) The words and expressions used herein but not defined in these rules, shall have the same meanings as assigned to them in the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), as applicable to the State of Madhya Pradesh.

3. Management of Village Forest:

Gram Sabha of the village, where the village community, that has been assigned the rights of the Government, resides shall be responsible for the management of that forest including its protection and development.

4. Constitution of committee for Management:

Gram Van Samiti constituted by the Gram Sabha of the village concerned shall be responsible for management of that Forest on behalf of the Gram Sabha, including its protection and development.

5. Nistar rights.-

(1) Subject to the provisions in rules laid down hereinafter and orders issued by the Government or any other officer authorised by the Government for this purpose, residents of the village shall be permitted to obtain, either free of charge or on payment to Gram Van Samiti, their nistar and paidawar requirements from the Village Forest.

Explanation- The expression "Nistar requirements" and "Paidawar requirements" mean the Nistar and Paidawar, required for the purpose of bona fide domestic consumption and livelihood needs.

(2) District Planning Committee shall in consultation with Divisional Forest Officer from time to time fix rates payable to Gram Van Samiti for timber and fuel wood for Nistar including occupational Nistar removed from the Village Forests.

(3) The quantum of nistar and paidawar requirements permitted under sub-rule (1) shall be subject to the bona fide livelihood needs of each family and limited to availability of nistar material. Where available nistar material falls short of the total requirement, the nistar material shall be equitably rationed by the Gram Van Samiti.

(4) (a) The Divisional Forest Officer or any Forest Officer specially authorised by him not below the rank of Range Officer shall, from time to time, in consultation with the Gram Van Samiti specify the area from which the nistar is to be obtained each year and the villagers shall obtain their nistar only from such areas.

(b) The Divisional Forest Officer or any officer not below the rank of Range Officer authorised by the Divisional Forest Officer shall from time to time specify and reserve a reasonable area for the exercise of occupational nistar and communicate the quantum of additional material which could be obtained from such area under exploitation limited to availability of material, after meeting the "Nistar" and "Paidawar" requirements under sub-rule (1).

6. Closed Period.-

(1) Village Forest shall remain closed for felling of trees and removal of timber and fuel-wood, under these rules, in the period beginning on 1st July and ending on 15th October every year, to be known as closed period.

(2) Gram Van Samiti, in consultation with the concerned range officer, for the village forest may declare certain period or periods of a year as closed season, or may declare certain forest areas as closed areas for a specified period for collection of certain forest produce, or may impose limits on quantities of any minor forest produce that can be removed, or may require that certain sustainable harvesting practices for the collection or extraction of any minor forest produce should be followed.

(3) Fishing in water bodies existing in the village forest will remain closed for a period between 16th June to 15th of August every year.

7. Removal of timber and fuel wood.-

(1) Gram Van Samiti shall regulate the felling of trees and removal of timber and fuel wood from a village forest in consultation with the Range Officer.

(2) Every year before the beginning of the open period, the Range Officer shall communicate to the Gram Van Samiti the estimated quantity of the timber and fuel wood likely to be available for felling or removal in the village forest assigned to it.

(3) Gram Van Samiti shall decide the days when it intends to fell trees and communicate the same to the Range Officer.

(4) Felling of trees in the village forest shall be carried under the supervision of a Forest Officer deputed by Range Officer.

(5) The timber will be removed from the forest after putting a hammer mark on it for identification by the forest officer deputed by the Range officer.

8. Sharing of forest produce.-

(1) The timber and fuel wood, surplus after the Nistar, including occupational Nistar requirements, may be disposed of by Gram Van Samiti.

(2) The proceeds from disposal of timber or fuel wood shall be first utilized for the protection and development of the forest. The surplus, if any, may be utilized by the Gram Van Samiti for the welfare of residents of the village.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 5, Gram Van Samiti with the prior approval of the Government, can enter into an agreement with a company or a body corporate, owned, managed and controlled by the Government or engaged in a manufacturing activity for which any forest produce is a raw material, to share certain forest produce from that village forest as consideration for the investment made by that company or body corporate towards the development of that village Forest.

9. Cutting of trees and removal of timber.-

(1) The cutting and removal of trees and timber from the village forests shall be in accordance with the management plan, as provided in rule 12 and are subject to the following conditions, unless permitted in writing by the range officer, namely:-

(i) No tree shall be girdled, pollarded or lopped.

(ii) No tree shall be wounded for the collection of gum and resin.

(iii) No tree shall be uprooted, burnt or injured in any other manner.

(iv) No tree under 21 cms girth at breast height shall be cut.

(2) Bamboos shall be cut subject to the following conditions :-

(i) The cutting cycle for bamboos shall be at least two years. Annual coupe shall be divided into appropriate sections and felling shall proceed sectionwise, i.e. cutting in the next section shall be taken up after previous section has been worked in accordance with these rules.

(ii) No live immature culm, viz. karla or the current season's culm and mahila or culm of the previous season, shall be cut.

(iii) Rhizomes of bamboos shall not be dug.

(iv) No bamboo clump containing less than ten live culms including karla and mahila shall be worked;

(v) In clump containing 10 or more live culms, the mature culms (other than those broken at a height of less than 20 cms.) that are left after cutting shall be uniformly spaced and their number shall be equal to at least twice the number of karlas subject to a minimum of 10 live culms.

Example:- In case there are 12 culms in a clump of which 3 are karlas then all the karlas i.e. 3 plus twice that number i.e. 6, total 9 culms should ordinarily have been left in the clump, but as this total is less than 10, one more culm shall be retained. That is, in all 3 karlas plus (10-3) i.e. 7 other culms excluding mahila, shall be left in the clump.

(vi) The height above ground level at which the culms are cut shall not be less than 15 cms. or more than 45 cms. and in any case not below the first inter node.

(vii) The cut shall be made with a sharp instrument so that the stump is not split.

(viii) All cutting debris shall be removed at least 30 cms. away from the periphery of the clump.

(ix) Karla and mahila bamboos shall in no case be used for making strips for tying bundles.

10. Transportation of forest produce.-

(1) All timber and fuel wood, removed from a village forest under these rules, shall be first moved to a place in the village determined by the Gram Van Samiti, and then transported to any other place, if required.

(2) Transportation of timber and fuel wood from the village shall be regulated by the provisions of MP Transit (Forest Produce) Rules, 2000.

11. Grazing rights.-

(1) Residents of the concerned village shall be permitted to graze their cattle in Village Forest in accordance with the Madhya Pradesh Grazing Rules, 1986:

Provided that no person shall graze cattle in grass-birs, fuel-cum-fodder reserves, areas under re-generation and plantation except with the prior permission of the Divisional Forest Officer. Sheep, goats and camel shall not be allowed for grazing in assigned village forest.

(2) Gram Van Samiti may permit grazing by cattle from other villages on such fee to be charged for grazing in the village forest as may be fixed by it, in consultation with Range Officer, from time to time.

12. Management Plan.-

(1) Management of a village forest, including cutting of trees, removal of timber and grazing, shall be regulated, as per the provisions of the Management Plan of the village forest, prepared in consonance with these rules by the Range Officer in consultation with the Gram Sabha.

(2) The Management Plan, so prepared, shall be put up before the concerned Sub -Divisional Forest Officer for approval, who shall approve it after making such amendments as he deems necessary.

13. Clearing and breaking of land.-

The clearing and breaking up of land in the village forest is permitted for facilities mentioned below for the benefit of residents of the village –

(i) School;

(ii) Dispensary, hospital;

(iii) Anganbadi;

(iv) Drinking water supply and water pipeline;

(v) Construction of village ponds;

(vi) Water and rain water harvesting structures;

(vii) Minor irrigation canal, and water distribution channels;

(viii) Construction and maintenance of roads;

(ix) Installation of photovoltaic power generating systems.

14. Duties of Residents.-

It shall be the duty of every resident of the village to:-

(a) prevent the commission of any offence which is in contravention of the provision of the act and is being committed in the village forest;

(b) help in apprehending and initiating legal action against the person who has committed any offence in the village forest in contravention of the provision of the act;

(c) to report the forest officer about the offence committed in the village forest and safeguard the forest produce until the forest officer takes charge thereof;

(d) to help in extinguish the fire about which he has knowledge or has received information and to prevent the fire from spreading;

(e) to assist any forest officer or police officer demanding his aid for preventing the commission of any offence against the Act or these rules or in the investigation of any such offence.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप सिंह राजपूत, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

क्रमांक/एफ–25–12/2015/10–3(124) भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2015

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषयः– अधिसूचित ग्राम वनों का ग्राम वन समिति द्वारा प्रबंधन।

.....

शासकीय वनों के प्रबंधन में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ 16–4/91–दस–2 , दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 में प्रकाशित शासकीय संकल्प के अनुसार ग्रामसभा द्वारा गठित "ग्राम वन समितियों" को ऐसे वनों के प्रबंधन में भागीदार बनाया गया है जिनका घनत्व 0.4 से कम था। ऐसे वनों के प्रबंधन में स्थानीय ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के कारण अनेक क्षेत्रों में वनों के वनावरण में वृद्धि एवं सुधार हुआ है। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा पर सुरक्षित वन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र भी शामिल हैं।

2. ग्रामीण समुदाय द्वारा वनों के संरक्षण हेतु किये जा रहे इस योगदान का संज्ञान लेते हुये उन्हें इन वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये और अधिक प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे आरक्षित वन, जो पूर्व में बिगड़े वन की श्रेणी में थे तथा स्थानीय ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के कारण उन वन क्षेत्रों पर वनावरण में वृद्धि तथा सुधार परिलक्षित हुआ है, उनको भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 अन्तर्गत ग्राम वन अधिसूचित किया जाय। मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 अंतर्गत प्रबंधन हेतु सामान्यतः उसी ग्राम वन समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसके द्वारा संयुक्त वन प्रबंध अन्तर्गत इन्हें संरक्षित किया गया है।

3. ग्रामीण समुदाय की वन प्रबंधन में सहभागिता के परिणामस्वरूप आरक्षित वन पर वनावरण में वृद्धि अथवा सुधार होने के संबंध में निष्कर्ष उक्त क्षेत्र की पिछली कार्य आयोजना में उक्त वनक्षेत्र पर वनावरण की स्थिति की तुलना वर्ष 2011 के लिये उपलब्ध सेटेलाइट इमेजरी अनुसार उक्त वनक्षेत्र पर वनावरण की वर्तमान स्थिति से करके किया जाएगा। इस बिन्दु पर वन मंडलाधिकारी अपना स्पष्ट अभिमत मय प्रारूप अधिसूचना मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रिय वृत्त को देंगे जो अपनी टीप दर्ज कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य शासन को संसूचित करेंगे। वनक्षेत्र को संबंधित ग्राम वन समिति को निर्दिष्ट (assign) करने हेतु अधिसूचना राज्य शासन द्वारा जारी की जावेगी। निर्दिष्ट किये जाने

वाले वनक्षेत्र की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख वन मंडलाधिकारी द्वारा अधिसूचना प्रारूप में किया जायेगा तथा अधिसूचना उपरांत उन सीमाओं का मानचित्र पर अंकन कराया जायेगा। संबंधित ग्राम वन समिति उक्त ग्राम वन का प्रबंधन मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 के उपबंध अनुसार करेगी।

4. राज्य शासन की यह भी मंशा है कि ऐसी ग्राम वन समितियां, जिंनके द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अधीन आरक्षित वनों के संरक्षण के परिणामस्वरूप वनक्षेत्र पर वनावरण में वृद्धि या सुधार अभी तक स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हुआ है, उन्हें भी इन वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये प्रेरित किया जाये। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी ग्राम वन समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अधीन आरक्षित वन के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सक्रिय भागीदारी निभायी जाना परिलक्षित होता है तो उन्हें भी मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 अंतर्गत् ऐसे वन प्रबंधन हेतु निर्दिष्ट किये सकेंगे। ग्राम वन समिति की सक्रिय भागीदारी की समीक्षा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वन मण्डलाधिकारी द्वारा की जाकर मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 अंतर्गत् उन समितियों को प्रबंधन हेतु बिगड़े आरक्षित वन सौंपने के बारे वन मंडलाधिकारी द्वारा स्पष्ट अभिमत मय प्रारूप अधिसूचना मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त को देंगे जो अपनी टीप दर्ज कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. को प्रस्ताव भेजेंगे। विचारोपरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उन आरक्षित वनक्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 के अधीन एवं म.प्र. ग्राम वन नियम 2015 के अध्याधीन रहते हुए ग्राम वन समिति को शासन के अधिकार निर्दिष्ट करने के बारे में समुचित प्रस्ताव एवं प्रारूप अधिसूचना राज्य शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार निर्दिष्ट किये गये आरक्षित वनों की प्रगति मासिक अगले माह की 7 तारीख तक संलग्न पत्रक में अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित की जावेगी। प्राप्त प्रगति पत्रक अनुसार संकलित जानकारी प्रतिमाह 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार एक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत

(ए.पी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग

APCCF (JFM)

P.C.C.F. M.P. Bhopal 15/7/15

SR. P.A. TO P.C.C.F. No. 5254 Dt. 16/7/15 MADHYA PRADESH, BHOPAL

JFM-SPA/77 16.07.15

क्रमांक/एफ–25–12/2015/10–3 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः–

1/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य– आयोजना) सतपुड़ा भवन भोपाल
2/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्य प्राणी), सतपुड़ा भवन भोपाल
3/ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम भोपाल।

2037 30/7/15

4/ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ भोपाल।

5/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल।

6/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी बायोडायवर्सिटी बोर्ड भोपाल।

7/ मिशन संचालक, राज्य बांस मिशन भोपाल।

8/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश

9/ समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।

10/ समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय), क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश

11/ समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।

12/समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय)

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

भवदीय,
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

संरक्षित वन नियम-2015

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2015—ज्येष्ठ 14, शक 1937

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

क्र. एफ-25-1-2004-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-1-दस-3-04 दिनांक 2 फरवरी 2005 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 है.

(2) ये नियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को लागू होंगे.

(3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16);

(ख) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ''वास्तविक आजीविका आवश्यकता'' , ''सामुदायिक अधिकार'' और ''गौण वन उत्पाद'' का वही अर्थ होगा जो कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में उनके लिए दिया गया है;

(ग) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए जिला योजना समिति का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में उसे दिया गया है;

(घ) ''रहवासियों के कर्तव्य'' से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 15 में यथा उपबंधित रहवासियों के कर्तव्य;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार

(च) "ग्राम सभा" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में दिया गया है;

(छ) "ग्राम वन समिति" से अभिप्रेत है अधिसूचना क्रमांक एफ/16–4/91/दस–2 दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 में प्रकाशित शासकीय संकल्प अनुसार ग्रामसभा द्वारा गठित समिति;

(ज) "निस्तार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं ,–

(एक) अनारक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी;
(दो) सूखी पड़ी हुई लकड़ी जो इमारती लकड़ी के लिए उपयुक्त न हो,
(तीन) सूखे बांस और जहां विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित हों, हरे बांस,
(चार) घास (रुसा, खस, या सबई घास से भिन्न)
(पांच) कांटे (खैर और करधई के कांटों को छोड़कर)
(छह) पत्तियां (तेंदू पत्ता के अतिरिक्त)
(सात) अनारक्षित वृक्ष की छाल (बक्कल); और
(आठ) नियम 13 के अधीन अनुरीति कार्यों के लिए और उसी ग्राम में आवास के वास्तविक प्रयोजन हेतु; गौण खनिज सतही बोल्डर्स, मुरुम, बालू, रुई और चिकनी मिट्टी ।

(झ) "व्यावसायिक निस्तार" से अभिप्रेत है लकड़ी के कोयले के विनिर्माण को छोड़कर जीविकोपार्जन के तरीके के रूप में व्यवसाय चलाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित निस्तार;

(ञ) "पैदावार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं समस्त खाने योग्य जड़ें, फल एवं फूल, कुल्लू वृक्ष के गोंद को छोड़कर प्राकृतिक रुप से निकला गोंद, शहद तथा मोम;

(ट) "संरक्षित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) में उसके लिए दिया गया है;

(ठ) "ग्राम का निवासी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो कि साधारणतया उसी ग्राम में निवास करता हो;

(ड) "शहरी क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिए दिया गया है ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो कि मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में उनके लिए दिए गए हैं ।

3. संरक्षित वन को संबद्ध करना,–

कलक्टर, वन मण्डलाधिकारी से परामर्श तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार किसी भी संरक्षित वन या उसके भाग को, जो कि शहरी क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता हो, इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम से संबद्ध कर सकता है या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसे निरस्त कर सकता है ।

4. ग्राम वन समिति का गठन,–

संबंधित ग्राम की ग्राम सभा उस ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन के प्रबंधन के प्रयोजन के लिए, जिसमें संरक्षित वन की सुरक्षा तथा विकास सम्मिलित है, एक ग्राम वन समिति का गठन करेगी ।

5. निस्तार अधिकार,–

(1) इन नियमों के उपबंधों एवं सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, ग्रामों के निवासियों को सम्बद्ध किए गए संरक्षित वन से उनकी निस्तार तथा पैदावार आवश्यकताएं निःशुल्क या संरक्षित वन समिति को रकम भुगतान करने पर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण– अभिव्यक्ति "निस्तार आवश्यकताएं" या "पैदावार आवश्यकताएं" से अभिप्रेत है वास्तविक व घरेलू उपभोग तथा आजीविका आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित निस्तार तथा पैदावार;

(2) 'जिला योजना समिति' वन मण्डलाधिकारी से परामर्श करके समय–समय पर, संबद्ध संरक्षित वन से काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी जिसमें व्यावसायिक निस्तार सम्मिलित है, को हटाने के लिए ग्राम वन समिति को देय फीस की दरें नियत करेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञात निस्तार एवं पैदावार आवश्यकताओं की मात्रा प्रत्येक परिवार की वास्तविक आजीविका आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अध्यधीन होगी। जहां उपलब्ध निस्तार सामग्री कुल आवश्यकता से कम होगी, वहां निस्तार सामग्री को, ग्राम वन समिति द्वारा समान रूप से वितरित किया जाएगा।

(4) (क) वन मण्डलाधिकारी अथवा उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अन्य वन अधिकारी, जो वन क्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी का हो, समय–समय पर, ग्राम वन समिति के परामर्श से प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र निर्धारित करेंगे जिसमें से निस्तार प्राप्त किया जाएगा और ग्रामीण केवल उसी क्षेत्र से अपना निस्तार प्राप्त करेंगे।

(ख) वन मण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर का अन्य वन अधिकारी, समय-समय पर व्यावसायिक निस्तार करने के लिए समुचित क्षेत्र, विनिर्दिष्ट एवं सुरक्षित करेंगे एवं उपनियम (1) के अधीन "निस्तार" तथा "पैदावार" की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् दोहन की उपलब्धता तक सीमित रहते हुए उक्त क्षेत्र से प्राप्ति योग्य अतिरिक्त मात्रा संसूचित करेगा।

6. बंद अवधि,–

(1) इन नियमों के अधीन ग्राम से संबद्ध किए गए संरक्षित वनों में प्रत्येक वर्ष एक जुलाई से शुरू होकर पन्द्रह अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि में वृक्षों का गिराया जाना एवं काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना प्रतिबंधित रहेगा, जो बंद अवधि कहलाएगी ।

(2) ग्राम वन समिति संबंधित वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उनसे संबद्ध संरक्षित वन के लिए एक वर्ष की किसी अवधि या कुछ अवधियों को बंद समय घोषित कर सकेगी अथवा कुछ वन क्षेत्र को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय वनोपज के संग्रहण हेतु बंद घोषित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज की मात्राओं की दोहन सीमा अधिरोपित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज के संग्रहण अथवा दोहन हेतु टिकाऊ हार्वेस्टिंग प्रणाली निर्धारित कर सकेगी।

(3) संबद्ध संरक्षित वनों में स्थित जलीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट रद्द रहेगा।

7. काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना,–

(1) ग्राम बन समिति, वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उससे संबद्ध ग्राम वनों में वृक्षों का गिराना तथा काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाना विनियमित करेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष खुली कालावधि शुरू होने के पूर्व वन क्षेत्रपाल, ग्राम वन समिति को उससे संबद्ध ग्राम वन क्षेत्र में पातन एवं हटाने हेतु उपलब्ध काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी की प्राक्कलित मात्रा संसूचित करेंगे।

(3) ग्राम वन समिति उन दिवसों, जब वह वृक्षों के पातन का आशय रखती है, का विनिश्चय करेगी एवं उसे वन क्षेत्रपाल को संसूचित करेगी ।

(4) ग्राम वनों में वृक्षों का पातन, वन क्षेत्रपाल द्वारा प्रतिनियुक्त वन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा।

(5) ग्राम वन क्षेत्र से काष्ठ की निकासी, उस पर वन क्षेत्रपाल द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा हेमर मार्क लगा दिए जाने के उपरांत ही की जाएगी।

8. वनोपज का बंटवारा,–

(1) निस्तार, जिसमें आजीविका निस्तार भी सम्मिलित है, के पश्चात् अधिशेष काष्ठ और जलाऊ लकड़ी ग्राम वन समिति द्वारा निर्वर्तित जा सकेगी।

(2) काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के निवर्तन से प्राप्त आगम सर्वप्रथम वन संरक्षण एवं विकास हेतु प्रयुक्त किए जाएंगे। अतिशेष, यदि कोई हो, ग्राम वन समिति द्वारा ग्रामवासियों के कल्याण हेतु उपयोग किए जा सकेंगे।

(3) नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम वन समिति, सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय जो कि सरकार द्वारा धारित, प्रबंधित एवं नियंत्रित हो अथवा ऐसी निर्माण गतिविधि में संलग्न हो, जिसके लिए वनोपज एक कच्चा माल हो, के साथ उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय द्वारा संरक्षित वन के विकास हेतु किये गये निवेश के प्रतिफल को ध्यान में रखकर उससे संबद्ध संरक्षित वन से प्राप्त वनोपज के बंटवारे हेतु अनुबंध कर सकेगी।

9. वृक्षों का पातन एवं काष्ठ का हटाया जाना,–

(1) ग्राम से संबद्ध संरक्षित वनों में वृक्षों का पातन तथा काष्ठ का हटाया जाना, नियम 12 में विहित की गई प्रबंध योजना के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, जब तक कि वन क्षेत्रपाल द्वारा लिखित में अनुज्ञात न किया गया हो, अर्थात् ,––

(एक) किसी वृक्ष के चारों ओर काट कर घेरा (गर्डल) नहीं डाला जाएगा या काफी ऊपर से काट कर मुण्डा (पोलार्ड) नहीं किया जायेगा या उसकी डालियाँ नहीं काटी जायेंगी।

(दो) गोंद या राल के संग्रहण के उद्देश्य से किसी वृक्ष में घाव नहीं किये जाएंगे।

(तीन) किसी वृक्ष को उखाड़ा, जलाया या किसी अन्य प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

(चार) कोई भी वृक्ष, जो छाती ऊँचाई पर 21 से.मी. गोलाई से कम हो, नहीं काटे जायेंगे।

(2) बांस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन काटे जाएंगे, जब तक कि वन विभाग स्थानीय परिस्थितियों के अध्यधीन नियम विहित नहीं करता,–

(एक) बांसों का काटने का चक्र कम से कम दो वर्ष का होगा। वार्षिक कूप समुचित भागों में बांटे जाएंगे तथा गिराया जाना भागों के अनुसार किया जाएगा । उदाहरणार्थ– अगले भाग में कटाई पूर्व भाग में इन नियमों के अनुसार कार्य होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

(दो) कोई भी अपरिपक्व कल्म जैसे कि करला, चालू ऋतु का कल्म तथा माहिला अथवा पिछले मौसम का कल्म नहीं काटा जायेगा।

(तीन) बांस के राइजोम खोदे नहीं जायेंगे।

(चार) किसी भी बांस के भिरे (क्लम्प), जिसमें करला व माहिला को सम्मिलित करते हुए दस से कम जीवित कल्म हों, पर कार्य नहीं किया जायेगा।

(पांच) दस अथवा अधिक जीवित कल्म वाले भिरा में, परिपक्व कल्म (20 से. मी. ऊँचाई से कम पर टूटे हुए को छोड़कर), जो कि कटाई के पश्चात, छूट गये हों, समान रूप से दूरी पर किये जायेंगे तथा इनकी संख्या करलों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। बशर्ते न्यूनतम 10 जीवित कल्म हों।

उदाहरण – मान लीजिये. एक भिरा में 12 कल्म हैं, जिसमें 3 करला हैं, तब सभी करला, जैसे कि 3 में उक्त संख्या का दोगुना जोड़ें यानि 6, कुल 9 कल्म साधारणतः भिरे में छूट जाने चाहिए लेकिन जैसे कि यह कुल संख्या 10 से कम है तो एक और कल्म को रखा जाना चाहिए। इस प्रकार कुल 3 करला एवं 10–3=7 दूसरे कल्म, माहिला को छोड़कर, भिरा में छोड़े जाएंगे।

(छह) भूमि स्तर से ऊपर की ऊँचाई, जिस पर कल्म काटे जायेंगे, 15 से. मी. से कम अथवा 45 से.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में प्रथम दो जोड़ों के बीच के भाग से नीचे नहीं होगी।

(सात) कटान, एक तेज धार वाले उपकरण से ही किया जाएगा, जिससे ठूंठ फट ना सके।

(आठ) समस्त कटाई अवशेष भिरा की परिधि से कम से कम 30 से.मी. की दूरी तक हटाए जाएंगे।

(नौ) किसी भी स्थिति में करला व माहिला बांस बंडलों को बांधे जाने हेतु रस्सी के रूप में उपयोग नहीं किये जायेंगे।

10. वनोपज का परिवहन,–

(1) इन नियमों के अधीन संबद्ध संरक्षित वन से निकाली गई समस्त काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी पहले ग्राम वन समिति द्वारा पहले ग्राम में निर्धारित स्थान पर ले जाई जायेगी और यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थान को परिवहन की जाएगी।

(2) ग्राम से काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का परिवहन मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जायेगा।

11. चराई अधिकार,–

(1) संबंधित ग्राम के निवासियों को संरक्षित वन क्षेत्र में, जो कि ग्राम से संबद्ध है, मध्य प्रदेश चराई नियम, 1986 के अनुसार पशुओं को चराई की अनुमति होगी:

परंतु कोई भी व्यक्ति, घास–बीड़, जलाऊ सह चारा क्षेत्र, पुनरूत्पादन व वृक्षारोपण क्षेत्रों के अंतर्गत वन मण्डलाधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना पशु नहीं चराएगा। संबद्ध संरक्षित वन में भेड़, बकरी एवं ऊँट की चराई की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) ग्राम वन समिति उससे संबद्ध संरक्षित वनों में, समय–समय पर, वन क्षेत्रपाल से परामर्श कर, ऐसी फीस प्रभारित करके जैसी कि वह नियत करे, दूसरे ग्रामों के पशुओं को चराई की अनुमति दे सकेगी।

12. प्रबंध योजना,–

(1) संरक्षित वन के प्रबंधन, जिसमें वृक्षों की कटाई, इमारती लकड़ी का हटाया जाना और चराई सम्मिलित है, इन नियमों के अनुरूप तैयार किए गए संरक्षित वन की प्रबंधन योजना के उपबंधों के अनुसार वन क्षेत्रपाल द्वारा ग्राम सभा से परामर्श करके विनियमित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार तैयार की गई प्रबंध योजना संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे ऐसे संशोधन करने के पश्चात्, जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित करेगा।

13. भूमि की सफाई एवं तोड़ना,–

ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन में ग्रामवासियों को नीचे उल्लिखित सुविधाओं और लाभों के सिवाय कृषि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि साफ करना या तोड़ना प्रतिषिद्ध है,–

(एक) स्कूल

(दो) डिस्पेंसरी, अस्पताल

(तीन) आंगनबाड़ी

(चार) पेयजल सप्लाई एवं पानी की पाईप लाईन

(पांच) ग्राम तालाब का निर्माण

(छह) जल एवं वर्षा जल हेतु जल संचयन संरचना

(सात) सूक्ष्म सिंचाई नहर एवं जल वितरण चैनल

(आठ) मार्ग का निर्माण एवं रखरखाव

(नौ) फोटोवालटिक ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना

14. किसी ग्राम से असंबद्ध संरक्षित वन,–

(1) संरक्षित वन, जो कि नियम 3 के अनुसार किसी ग्राम से संबद्ध नहीं है, का प्रबंधन, वन मण्डलाधिकारी द्वारा, शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) असंबद्ध संरक्षित वनों में निम्नलिखित कार्य, वन क्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी के वन अधिकारी, की लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित होंगे:–

(क) वृक्षों एवं काष्ठ की कटाई, चिराई, रूपांतरण एवं हटाया जाना तथा वन उत्पादों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं हटाया जाना,

(ख) ऐसे वन क्षेत्र में कृषि अथवा अन्य प्रयोजन हेतु भूमि की सफाई एवं समतलीकरण ।

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अतिरिक्त, शहरी क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक संरक्षित वन में घास कटाई अथवा मवेशियों के चराई भी प्रतिबंधित रहेगी ।

15. रहवासियों के कर्तव्य,–

ग्राम के प्रत्येक रहवासी का यह कर्तव्य होगा कि वह,–

(क) ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में ऐसे अपराध को रोके जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है और ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन में कारित किया जा रहा है ।

(ख) ऐसे व्यक्ति जिसने संरक्षित वन क्षेत्र में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई अपराध कारित किया है, को पकड़वाने में तथा विधिक कार्रवाई शुरू किए जाने में सहायता करे ।

(ग) संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में अपराध घटित होने के बारे में वन अधिकारी को सूचित करे तथा वन अधिकारी द्वारा कार्यवाही आरंभ किए जाने तक वनोपज की सुरक्षा करे ।

(घ) संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में आग लगने का ज्ञान होने या उसकी जानकारी होने पर आग बुझाने में मदद करे तथा आग को आगे बढ़ने से रोके।

(ड.) इस अधिनियम या इन नियमों के विरूद्व कारित किसी अपराध या ऐसे किसी अपराध के विचारण में किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सहायता करे।

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

कमांक/एफ–25–1/2004/10–3 भोपाल, दिनांक 1 - जुलाई, 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्य प्रदेश।

विषयः– संरक्षित वनों का ग्राम वन समिति द्वारा प्रबंधन।

.....

शासकीय वनों के प्रबंधन में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, की अधिसूचना कमांक एफ 16–4/91–दस–2 , दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 में प्रकाशित शासकीय संकल्प के अनुसार ग्रामसभा द्वारा गठित "ग्राम वन समितियों" को ऐसे संरक्षित वनों के प्रबंधन में भागीदार बनाया गया है जिनका घनत्व 0.4 से कम था। ऐसे संरक्षित वनों के प्रबंधन में स्थानीय ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के कारण अनेक क्षेत्रों में संरक्षित वनों के वनावरण में वृद्धि एवं सुधार हुआ है। ग्रामीण समुदाय द्वारा संरक्षित वनों के संरक्षण हेतु किये जा रहे इस योगदान का संज्ञान लेते हुये उन्हें इन वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये और अधिक प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे संरक्षित वन, जो पूर्व मे बिगड़े वन की श्रेणी में थे तथा स्थानीय ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के कारण उन वनों पर वनावरण में वृद्धि तथा सुधार हुआ है, उनको मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 के नियम 3 अनुसार, जिस संरक्षित वन के अधिसूचित होने के समय वह भू–खण्ड जिस ग्राम का भाग था, उससे संबद्ध किया जाय ।

2. ग्रामीण समुदाय की प्रबंधन में सहभागिता के परिणामस्वरूप संरक्षित वन पर वनावरण में वृद्धि अथवा सुधार होने के संबंध में निष्कर्ष उक्त क्षेत्र की पिछली कार्य आयोजना में उक्त वनक्षेत्र पर वनावरण की स्थिति की तुलना वर्ष 2013 के लिये उपलब्ध सेटेलाइट इमेजरी अनुसार उक्त वनक्षेत्र पर वनावरण की वर्तमान स्थिति से करके किया जाएगा। इस बिन्दु पर वन मंडलाधिकारी अपना स्पष्ट अभिमत जिला कलेक्टर को संसूचित करेंगे जिससे जिला कलेक्टर उक्त वनक्षेत्र को संबंधित ग्राम के साथ प्रबंधन के लिये सम्बद्ध करने हेतु आदेश पारित कर सकें। इस हेतु कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश में ग्राम से संबद्ध किये जाने वाली वनक्षेत्र की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये एवं तद्नुसार मानचित्र पर अंकन किया जाये। कलेक्टर द्वारा नियम 3 अंतर्गत आदेश पारित करने पर संबंधित ग्राम वन समिति उक्त संरक्षित वन क्षेत्र का प्रबंधन मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 के उपबन्धों अनुसार करेगी।

3. राज्य शासन की यह भी मंशा है कि सभी ग्राम सभाएं ग्राम वन समिति के माध्यम से अपने ग्राम की सीमाओं के भीतर स्थित संरक्षित वनों के प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी निभाएं । इसलिये ऐसी ग्राम वन समितियां जिनके द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अधीन संरक्षित वनों के संरक्षण के परिणामस्वरूप वनक्षेत्र पर वनावरण में वृद्धि या सुधार अभी स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं है उन्हें भी इन वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये प्रेरित किया जाता रहेगा । राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी ग्राम वन समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अधीन संरक्षित वन के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सक्रिय भागीदारी परिलक्षित है तो उन्हें भी ऐसे वन मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 के नियम 3 अनुसार प्रबंधन हेतु सौपे जायेंगे । संरक्षित वन के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य में ग्राम वन समिति की सक्रिय भागीदारी की समीक्षा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वन मण्डलाधिकारी द्वारा की जाकर वनक्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्राम वन समिति द्वारा किये गये प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुये उनको मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 के नियम 3 अनुसार प्रबंधन हेतु सौंपने के बारे में जिला कलेक्टर को अपना स्पष्ट अभिमत प्रेषित किया जाएगा जिस पर विचारोपरान्त जिला कलेक्टर द्वारा वनक्षेत्र को उक्त ग्राम से संबद्ध करने के बारे में समुचित निर्णय लिया जाकर आदेश पारित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

अजीत
(ए.पी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग
भोपाल, दिनांक 1-जुलाई, 2015

पृ. क्रमांक/एफ–25–1/2004/10–3 974

प्रतिलिपिः–

1/ समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
2/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य– आयोजना) सतपुड़ा भवन भोपाल
4/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्य प्राणी), सतपुड़ा भवन भोपाल
5/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश
6/ समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय), क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश
7/ समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्य प्रदेश।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अजीत
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग